2022/401

फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

...त ~~एक~~ सहायक कलक्टर मुकाम डीडवाना

...माधवदास S/o बालदास बनाम तहसीलदार डीडवाना

...मा 111 L.R. Act सं. 150 सन् 22

...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...22	आज ... के विरु... 111 L.R. Act ... दर्ज हो। ... जारी हो। मिसल दि... 24/6/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना	
	24/6/22 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 11/7/22 को पेश हो ।	
	11/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार डीडवाना को रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 10/8/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना	
	10/8/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। ... पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 15/9/22 को पेश हो।	
	15/9/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं। मिसल दिनांक 14/10/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:40:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 31/8/23 को पेश हो।	
31/8/23 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 15/9/23 को पेश हो।	
15/9/23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 16/10/23 को पेश हो।	
16/10/23 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 12/01/2024 को पेश हो।	
12/1/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 22/2/24 को पेश हो।	
22/2/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 23/5/24 को पेश हो।	
23/5/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 26/6/24 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। [illegible] पेश किए जो शामिल पत्रावली [illegible] बहस सुनी गई व रेकार्ड का [illegible] किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	[illegible] 5/4 26/6/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:40:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 150/2022 दायर दिनाँक 20.06.2022

वादी		प्रतिवादी
1. माधवदास पुत्र बालदास उम्र 45 वर्ष जाति वैष्णव निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व स्थायी निषेधाज्ञा

श्री दानाराम भाटी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 26.06.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा 167 रकबा 5.3300 हैक्टेयर चाही व खसरा सं0 172 रकबा 1.4300 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं. 258 रकबा 2.2700 हैक्टे0 बारानी 1 वाके सरहद दयालपुरा पटवार हल्का मावा भू0अभि0 नि0 दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित है, जिसका वादी एकल खातेदारी के खेत खसरा सं0 167, 172 व 258 की भूमि पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज चला आ रहा है।

यह है कि खेत खसरा सं0 167 रकबा 5.3300 हैक्टे0 चाही व खसरा सं0 172 रकबा 1.4300 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 258 रकबा 2.2700 हैक्टे0 बारानी 1 वाकै सरहद दयालपुरा भूमि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है, मगर उक्त भूमि मौके पर पुरी नही है, वादी के उक्त खसरा सं0 167, 172 व 258 के चारो दिशाओं के खातेदारों द्वारा सीमा को दबाना प्रारम्भ कर दिया है। जिससे वादी के खसरा सं0 167, 172 व 258 की भूमि पुरी नही है। इसलिए वादी को उक्त वाद बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का करना लाजमी आया है।

यह है कि बिनाय दावा वादी की खातेदारी के खेत खसरा सं0 167, 172 व 258 के चारों दिशाओं के खातेदारों द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी नही करवाने की धमकी देने व दिनांक 17.06.2022 को खतौनी व नक्शा की नकले लेने पर हुई व हो रही है तथा यह वाद अवधी भीतर है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि वादी के खेत खसरा सं0 167 रकबा 5.3300 हैक्टे0 चाही व खसरा सं0 172 रकबा 1.4300 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 258 रकबा 2.2700 हैक्टे0 बारानी 1 वाकै सरहद दयालपुरा की भूमि का नजरी नक्शा अनुसार भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार डीडवाना का सीमाज्ञान का मौका पर्चा की प्रति प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:40:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सरहद दयालपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा सं0 167, 172 व 258 की पत्थरगढी करवाने की प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना ने दिनांक 13.06.2024 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया है जिसकी फर्द प्रति संलग्न है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है व सीमाज्ञान फर्द के अनुसार किसी प्रकार का विवाद होना नही पाया जाता है। रेकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपयुक्तानुसार प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, सरहद दयालपुरा पटवार हल्का दयालपुरा के खेत खसरा सं0 167 रकबा 5.3300 हैक्टे0 व खसरा सं0 172 रकबा 1.4300 हैक्टे0, खसरा सं0 258 रकबा 2.2700 हैक्टे0 में पत्थर गढी की करवाने की कार्यवाही सम्पादित करे।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **26.06.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:40:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner